न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 48/2018 (जीसीएमएस नम्बर 2018/00090)

1. शान्ति पत्नि रामस्वरूप
2. कमलेश उर्फ कमल पुत्र रामस्वरूप
3. भोजराज पुत्र रामस्वरूप
4. खेमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप
   समस्त जाति कोली, निवासी ग्राम रानोली, तहसील सिकराय,जिला दौसा।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. हरभजन पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर, निवासी रानोली तहसील सिकराय, जिला दौसा।
2. गुट्ठल पुत्र हरमुख
3. पून्ना पुत्र गुट्ठल
4. सुरजी पत्नि हरमुख
5. नाथू पुत्र नामालूम
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम रानोली तहसील सिकराय, जिला दौसा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय,जिला दौसा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा दिनांक 30.05.2018 मु0नं0 106/2017 उनवानी हरमजन बनाम गुट्ठल वगै0 धारा 128 एल.आर.एक्ट पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री सी.एल. मीना, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री राजकुमार शर्मा, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 अनुपस्थित।
4. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–20.12.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 30.05.2018 के खिलाफ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 03.07.2018 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 106 रकबा 0.18 है0 भूमि वाके ग्राम राणौली, तहसील सिकराय, जिला दौसा राज. में स्थित है। जिस पर लोक अदालत कैम्प राणौली में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का पत्थरगढी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा को आदेश दिये गये कि विवादित खसरा नम्बर 106 रकबा 0.18 है0 भूमि वाके ग्राम राणौली तहसील सिकराय का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी की जावे एवं पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.05.2018 को पारित किये गये हैं ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 30.05.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स शान्ति पत्नि रामस्वरूप द्वारा यह अपील प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा दिनांक 30.05.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सिकराय, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 106 रकबा 0.18 है० भूमि वाके ग्राम राणौली, तहसील सिकराय, जिला दौसा में स्थित है। जिसमें रेस्पोडेन्ट की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है जिससे अन्य किसी व्यक्ति का कोई लेना देना या सरोकार वास्ता नहीं है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने व अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना व किसी प्रकार के सम्मन नोटिस की तामील हुए बिना ही उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगातार आदेशिकाओं में अपीलांटस व अन्य रेस्पोडेन्ट्स की तामील हेतु आदेशिकाएं जारी की गई है। जिसमें अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स को एक बार भी सम्मन नोटिस जारी नहीं हुए है, ना ही किसी प्रकार की कोई सूचना राजस्व अभियान या लोक अदालत की अपीलांट्स को प्रेषित की गई, ना ही प्राप्त हुई ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता की उपस्थिति में उन्हे सुनकर व रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर लेने से तथा अपीलान्ट को साक्ष्य, सबूत व जवाब प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है।

अपीलान्ट्स के अधिवक्ता ने कथन किया कि उक्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 507 रकबा 14 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 106 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम राणौली, तहसील सिकराय, जिला दौसा बने के संबंध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश सिकराय जिला दौसा के दीवानी वाद संख्या 29/2011 उनवानी कमलेश वगै0 बनाम गीता वगै. निर्णय दिनांक 17.03.2015 के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय में स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट्स का खसरा नम्बर 507 रकबा 14 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 106 रकबा 0.18 है0 से कोई संबंध सरोकार लोकस स्टेण्डाई नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट सं० 01 हरभजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी प्रतिवादी सं० 4 नाथू की कोई वल्दियत दर्ज नहीं है अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया व बिना वल्दियत के कोई वाद या प्रार्थना पत्र न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। यह वादी की कानूनी जिम्मेदारी है कि वह जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर रहा है उनके नाम पते वल्दियत सहित न्यायालय के समक्ष वाद के उनवान में दर्ज करेगा अन्यथा वाद चलने योग्य नहीं है व खारिज योग्य होता है जब कोई वल्दियत ही प्रतिवादी की नहीं है तो यह स्पष्ट प्रमाण है कि सम्मन नोटिस किसको तामील करवाये जायेगे। जिससे भी यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आरबीटरेरी तरीके से पत्रावली पर गौर किये बिना निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को सुनवाई हेतु कोई नोटिस प्रेषित नहीं किया गया है, ना ही प्रार्थीगण की उक्त प्रकरण में कभी कोई तामील हुई है, दिनांक 30.05.2018 को रेस्पोडेन्ट सं० 01 ने गांव में ऐलानिया कहा कि उसने उक्त विवादित भूमि का पत्थरगढी आदेश प्राप्त कर लिया है अब तुम्हे बेदखल करेगें जिस पर अपीलांट्स ने नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया व नकल प्राप्त की, तब सर्वप्रथम अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त आदेश की कतई जानकारी नही थी। प्रकरण के तथ्यों एवं

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा दिनांक 30.05.2018 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु पेश किया था। जिसमें अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार रहे है, जिन्हे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तलबी नोटिस जारी किये गये है। आराजी खसरा नम्बर 106 रकबा 0.18 है0 भूमि वाके ग्राम राणौली, तहसील सिकराय, जिला दौसा राज. में स्थित है, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात है जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी आराजीयात व फसल की पशुओं से सुरक्षार्थ आदि के लिये सीमाज्ञान, पत्थरगढी इत्यादि करवाने का कानूनन हक, अधिकार प्रदत्त है। उन्होनें यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी की ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2018 पारित किये गये जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनी हक अधिकार प्रदत्त नहीं है बल्कि अपीलार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2018 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को नकल प्राप्त होने की दिनांक को होना अंकित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलान्ट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है जिसको सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है। प्रकरण पत्थरगढी से संबधित है। जिसमें पडौसी सहखातेदारों को सुनवाई एवं साक्ष्य, सबूत तथा दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत पूर्ण अवसर दिया जाना पत्रावली के अवलोकन से विदित नहीं होता है। प्रकरण में कोई समरी जॉच भी नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की दिनांक 12.03.2018 तक की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली प्रतिवादी की तलबी हेतु नियत थी। तलबी पूर्ण किये वगैर ही पत्रावली दिनांक 30.05.2018 को लोक अदालत में प्रस्तुत की जाकर तथा वकील वादी की बहस सुनकर निर्णित की गई है। उच्च न्यायालय की नजीरें 2023(1) आर.आर.टी 247, 2024(1) आर.आर.टी. 225, 2018(2) आर.आर.टी. 864, 2018 आरबीजे 676 के अवलोकन से स्पष्ट है कि लोक अदालत में उन्ही प्रकरणों को निस्तारण किया जा सकता है, जिसमें पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया हो। प्रकरण में अपीलान्ट को सुना ही नही गया है। पत्रावली में सहमति/राजीनामा होने संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उक्त के आलोक में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.05.2018

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाकर समरी जॉच पश्चात प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.05.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाकर समरी जॉच पश्चात प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 20.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर